कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–18/2018–450 दिनांक : 18.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2024–25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण), हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक तथा हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) के लिए वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **रू0 17.167 लाख (सत्रह लाख सोलह हजार सात सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–31/2018–51/स्वी0 व0प0 दिनांक–28.01.2019 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–33/2019–10 व0प0 दिनांक–05.08.2020 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 17.167 लाख (सत्रह लाख सोलह हजार सात सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	15.907
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	1.260
कुल :–		**17.167**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यो की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)**, तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796590103 तथा 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक–1254 दिनांक–20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय–समय पर निर्गत योजना–सह–वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

18/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2018–** 450 **दिनांक–** 18.08.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

18/8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–18/2018–** 450 **दिनांक–** 18.08.2020

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/ साहेबगंज/ पाकुड़/ दुमका/ सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2020–21 से में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्यां)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	500.00	1.479	0.050	1.529
	योग :–	**500.00**	**1.479**	**0.050**	**1.529**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिमी तक लोहा गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य तृतीय वर्ष का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्यां)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	700.00	2.071	0.070	2.141
	योग :–	**700.00**	**2.071**	**0.070**	**2.141**
	सकल योग :–	**1200.00**	**3.550**	**0.120**	**3.670**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\S.O. 51 dt. 28.01.2019\River Side & Iron Gab

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनो किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				11233.28	1036.40	12269.68
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	3.00	30.00	3.370	0.311	3.681
2	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	2.00	20.00	2.247	0.207	2.454
3	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	4.00	40.00	4.493	0.415	4.908
4	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	2.00	20.00	2.247	0.207	2.454
योग :–		**11.00**	**110.00**	**12.357**	**1.140**	**13.497**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्न–2(क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा–गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :– हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पूरब

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

2 स्पेंसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3. मजदूरी दर – 257.29 प्रति मानव दिवस

गैबियन की सं0 500

क्र.सं.	कार्य का विवरणी	प्रति गैबियन		मजदूरी		500		गैबियन
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 257.29							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम – 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय– 10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय– 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	38.59	5	19296.75	2500.00	21796.75
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	128.65	5.00	64322.50	2500.00	66822.50
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	128.65	0.00	64322.50	0.00	64322.50
	योग–		**1.15**	**295.88**	**10.00**	**147941.75**	**5000.00**	**152941.75**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\S.O. 51 dt. 28.01.2019\Rate (Iron Gabion)500G (GST) 10-8-18

अनुलग्न–2(ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– पथतट/नदी तट/संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा–गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

स्थल का नाम :– **हरमू नदी किनारे सहजानन्द चौक से किशोरगंज रोड के पश्चिम**

1. लोहा गैबियन का आकार 5'x2'x2'

2 स्पेंसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3. मजदूरी दर – 257.29 रु0 प्रति मानव दिवस

गैबियन की सं0 700

क्र.सं.	कार्य का विवरणी	प्रति गैबियन		मजदूरी		700		गैबियन
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय रू0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A)	वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 257.29/–							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम – 5ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, द्वितीय–10ग्रा0 युरिया, 5 ग्राम कीटनाशक, तृतीय–5ग्रा0 युरिया, 5 ग्रा0 कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	38.59	5.00	27015.45	3500.00	30515.45
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	128.65	5.00	90051.50	3500.00	93551.50
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	128.65	0.00	90051.50	0.00	90051.50
	योग–		**1.15**	**295.88**	**10.00**	**207118.45**	**7000.00**	**214118.45**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2020-21\Development\Sub-Allotment\RSP\TSP\S.O 51 dt. 28.01.2019\Rate (Iron Gabion)700 G 10-8-18

अनुलग्नक–2 (ग)

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधो की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाप	2000 m2	**100*20**
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	257.29	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 257.29					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1080.62	0.00	1080.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	6174.96	0.00	6174.96
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	308.75	275.00	583.75
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	159.52	100.00	259.52
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	3509.44	0.00	3509.44
	कुलः–		**43.66**	**11233.28**	**1036.40**	**12269.68**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018P2/450

दिनांक - 18-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37821	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	355,000.00 रुपये तीन लाख पचपन हजार
2	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37822	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	337,000.00 रुपये तीन लाख सैतीस हजार

ग: 692,000.00

मिक योग: रुपये छः लाख बयानवे हजार

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCH

59.97.146.158

Run Date : 18/8/2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37823	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	224,700.00 रुपये दो लाख चौइस हजार सात सौ
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37826	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	449,300.00 रुपये चार लाख उनचास हजार तीन सौ
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37827	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	224,700.00 रुपये दो लाख चौइस हजार सात सौ

योग: 898,700.00

क्रमिक योग: रुपये पंद्रह लाख नब्बे हजार सात सौ 1,590,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

59.97.146.158 [redacted]

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018P2/450 दिनांक - 18-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	37829	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	12,000.00 रुपये बारह हजार

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	37830	SBJFOR001 VIKAS PALIWAL DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	31,100.00 रुपये इकतीस हजार एक सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	37832	PKRFOR001 VINAY KANT MISHRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	20,700.00 रुपये बीस हजार सात सौ

State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)

Centeral Scheme : NA

योग: 63,800.00

क्रमिक योग: रुपये सोलह लाख चौपन हजार पॉच सौ 1,654,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

पत्र संख्या - 01/YB-18/2018P2/450 दिनांक - 18-Aug-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37834	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	41,500.00 रुपये इकतालीस हजार पॉच सौ
10	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	37835	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	20,700.00 रुपये बीस हजार सात सौ

योग: 62,200.00

क्रमिक योग: रुपये सत्रह लाख सोलह हजार सात सौ 1,716,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

 59.97.146.158 [redacted]